(37)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2005/पौष 1, 1927

No. 525] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2005/PAUSA 1, 1927

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 736(अ).— केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ नियम, 2005 के नियम 36 के उप-नियम (2क) में "आरंभ से ही" शब्दों के पश्चात् और "मार्फीन" शब्द से पहले निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"यदि केन्द्रीय सरकार, यह अवधारित करती है कि ऐसी अनुज्ञप्ति लोकहित में आवश्यक है और अंतरराष्ट्रीय संधियों, कनवेंशन या प्रोटोकालों के अधीन भारत की बाध्यताओं के सामंजस्य में है, तो भारतीय अफीम से"।

[फा. सं. ए-66011/22/2003-सीएम]

श्यामला मोहन, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र सा.का.नि. 837(अ) तारीख 14-11-1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती का.आ. 786(अ) तारीख 26-10-1992, का.आ. 599(अ) तारीख 10-8-1993, सा.का.नि. 748(अ) तारीख 14-12-1993, सा.का.नि. 543 तारीख 24-10-1994, सा.का.नि. 82 तारीख 14-2-1995, सा.का.नि. 556(अ) तारीख 14-7-1995, सा.का.नि. 25(अ) तारीख 12-1-1996, सा.का.नि. 509(अ) तारीख 4-11-1996, सा.का.नि. 350(अ) तारीख 25-6-1997, सा.का.नि. 214(अ) तारीख 19-3-2002, सा.का.नि. 763(अ) तारीख 14-11-2002, सा.का.नि. 115(अ) तारीख 21-2-2003, सा.का.नि. 129(अ) तारीख 26-2-2003, सा.का.नि. 217(अ) तारीख 17-3-2003 और सा.का.नि. 95(अ) तारीख 4-2-2004 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2005

G.S.R. 736(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 2005, in Rule 36, in Sub-rule (2A), after the words "Pholcodine and their respective salts", the words "from Indian opium, if the Central Government determines that such licence is necessary in public interest and is in consonance with India's obligations under International treaties, conventions or protocols" shall be added.

[*F. No. A-66011/22/2003-CM*]
SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

Note :—The Principal Notification was published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 837(E) dated 14-11-1985 and subsequently amended *vide* S.O. 786(E) dated 26-10-1992, S.O., 599(E) dated 10-8-1993, G.S.R. 748(E) dated 14-12-1993, G.S.R. 543 dated 24-10-1994, G.S.R. 82 dated 14-2-1995, G.S.R. 556(E dated 14-7-1995, G.S.R. 25(E) dated 12-1-1996, G.S.R. 509(E) dated 4-11-1996, G.S.R. 350(E) dated 25-6-1997, G.S.R. 214(E) dated 19-3-2002, G.S.R. 763(E) dated 14-11-2002, G.S.R. 115(E) dated 21-2-2003, G.S.R. 129(E) dated 26-2-2003, G.S.R. 217(E) dated 17-3-2003 and G.S.R. 95(E) dated 4-2-2004.

Indiacode

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.